उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगलपड़ाव, हल्द्वानी

निविदा सूचना

(Tender Notice no.08(1-2)/UCDF/2026-27, Date-27-08-2026

कार्यालय उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगल पड़ाव हल्द्वानी (नैनीताल) के उपयोग हेतु निविदा के अधीन अनुबन्ध के आधार पर 01 (एक) बोलेरो/समकक्ष वाहन चालक सहित लिया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये निविदा आमंत्रित की जा रही है। इच्छुक व्यक्ति–प्रपत्र को हस्ताक्षरित कर समस्त शर्तों सहित सील बन्द लिफाफे में पंजीकृत डाक अथवा कोरियर के माध्यम से अपनी निविदा दिनांक 10.09.2026 को अपराह्न 5.00 बजे तक कार्यालय उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0 मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल) में जमा करा सकते हैं। प्राप्त निविदाताओं को निविदा समिति द्वारा दिनांक11.09.2026 को पूवाह्न 11.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष मंगलपड़ाव, हल्द्वानी स्थित फैडरेशन कार्यालय में खोला जायेगा। निविदा–प्रपत्र का शुल्क 590.00 (जी.एस.टी सहित) होगा।

विस्तृत निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से प्राप्त या वेबसाइट WWW.ucdfaanchal.com से डाउनलोड किया जा सकता है निविदा प्रपत्र इस कार्यालय के कार्य दिवस में भी प्राप्त किया जा सकता है।

सामान्य प्रबन्धक (प्रशा0),

निविदा –प्रपत्र

(बोलेरो / समकक्ष वाहन हेतु निविदा)

1. वाहन स्वामी का नाम ....
....

2. वाहन स्वामी का पूरा पता ....
...

(स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करे)

3. वाहन स्वामी का आधार कार्ड न0 ....
...

(स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करे)

4. वाहन स्वामी का पैन कार्ड का नम्बर ....
...

(स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करे)

5. वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर ....
...

(स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करे)

6. वाहन का बीमा पॉलिसी नम्बर ....
...

(स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करे)

7. वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट ....
.

(स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करे)

8. वाहन का टैक्सी परमिट ....

9. मासिक किराया रू0 ....(शब्दों में)...चालक रहित।

9.1–मासिक किराया रू0 ....(शब्दों में)..चालक सहित।

9.2 मुख्यालय से बाहर रात्रि विश्राम होने पर चालक को देय व्यय .... प्रतिरात्रि

10. डीजल की खपत ....कि0मी0 प्रति लीटर।

11. निविदा–प्रपत्र का शुल्क रू0 ....(जी.एस.टी सहित) होगा, जिसे निविदा–प्रपत्र के साथ संलग्न बैंक विवरण के खाते में जमा किया जा सकता है अथवा बैंक ड्राफ्ट, जो UTTARKHAND CO-OPERATIVE DAIRY FEDRATION LTD के नाम हो अथवा कार्यालय दिवस में नकद जमा कर भी प्राप्त किया जा सकेगा।

12. निर्धारित धरोहर धनराशि रू0 ....के बैंक ड्राफ्ट आदि का विवरण अंकित करें एवं बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति संलग्न करें..।

नोटः–1. नया वाहन उपलब्ध कराने की दशा में बन्दु संख्याः–5,6,7,8 में ''**वाहन क्रय के बाद उपलब्ध कराया जायेगा**''टिप्पणी अंकित की जाये। निविदा प्रपत्र पर किसी भी तरह की कटिंग अथवा सफेदा/फ्लूड का उपयोग होने पर निविदा मान्य नहीं होगी।

2. निविदा प्रपत्र को सील बन्द लिफाफे में पंजीकृत डाक अथवा प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल) के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा करा सकते हैं।निविदा के सील बन्द लिफाफे पर बोलेरो/समकक्ष वाहन हेतु निविदा एवं अपना पूरा पता नाम सहित अवश्य अंकित करें।

संलग्नकः– निविदा की समस्त शर्तें वाहन स्वामी के हस्ताक्षर सहित।

हस्ताक्षर वाहन स्वामी

वाहन स्वामी का नाम ....

पूरा पताः–..

....

....

मोबाईल न0..

ई–मेल आई0डी0ः–..

.

निविदा –प्रपत्र की अर्हतायें

अनिवार्य अर्हतायें:–

1. वाहन स्वामी का आधार कार्ड नम्बर की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
2. वाहन स्वामी का पैन कार्ड नम्बर की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
3. वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर सर्टिफिकेट की स्वप्रमाणित छायाप्रति, जिससे यह सुनिश्चित हो कि वाहन उत्तराखण्ड में पंजीकृत है एवं वाहन 03 (तीन) वर्ष (1095 दिन) से अधिक पुरानी नही है।
4. वाहन की बीमा पॉलीसी की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
5. वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
6. वाहन का टैक्सी परमिट की स्वप्रमाणित छायप्रति, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वाहन टैक्सी परमिट उत्तराखण्ड एवं उत्तरप्रदेश हेतु मान्य है।
7. निविदा–प्रपत्र का शुल्क रू0 590.00 (जी0एस0टी0 सहित) की प्रति ।
8. धरोहर धनराशि रू0 5,000/–क बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ0डी0आर0/कार्यालय में नकद जमा रसीद की मूल प्रति।

अन्यः–

9. नया वाहन उपलब्ध कराने की दशा में बिन्दु संख्याः– 5,6,7,8 लागू नहीं होगा, किन्तु इस बात का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जायेगा कि निर्धारित अवधि के भीतर निविदा में अंकित वाहन का क्रय कर लिया जायेगा एवं तद्नुसार बिन्दु संख्याः– 5,6,7,8 की प्रतियां उपलब्ध करा दिया जायेगा।
10. निविदा में अर्ह निविदादाता के वाहन का निरीक्षण किया जायेगा तथा अनुबन्ध होने से पूर्व अनुबन्ध की शर्तों में वाहन से संबंधित समस्त का भौतिक निरीक्षए कर लिया जयेगा तथा कमेटी द्वारा यह प्रमाण–पत्र निर्गत कर दिया जायेगा कि अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप समस्त मानकों को वाहन पूर्ण कर रहा है, उसके उपरान्त ही वाहन हेतु अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगा।

11. वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये जा ररहे वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेंस एवं उसकी वैधता की भी जाँच की जायेगी तथा उसके द्वारा अपना स्वास्थ्य–प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा।

UTTARAKHAND CO-OPERATIVE FEDRATION Ltd.,
Mangal Parao, Haldwani (Nainital)
Bank Details for submission of tender fees & EMD through RTGS/NEFT:

Name of account holder	**Uttaranchal co-operative dairy federation Ltd.**
Name of bank	**Axis bank**
Branch	**Talli Haldwani (UT)**
Account number	**584010100013749**
Type	**Saving Bank**
IFSC code	**UTIB0000584**

निविदा हेतु अनुबन्ध की शर्तें

(अर्ह निविदाकर्ता द्वारा रू0 100/– के नॉन–ज्यूडिसयल स्टाम्प पेपर पर द्विपक्षीय अनुबन्ध किया जायेगा)

1. वाहन स्वामी अनुबन्धित किये गये वाहन को उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, हल्द्वानी (नैनीताल) के कार्यालय में रखेगा, व सम्बन्धित अधिकारी की अनुमति के बिना वाहन को कहीं भी नहीं ले जायेगा।
2. आपूर्तिकर्ता द्वारा करार के दौरान कोई भी वाहन, जो 03 (तीन) वर्ष (1095 दिन) से अधिक पूरानी वाहन की आपूर्ति नहीं की जायेगी। वाहन की आयु की गणना हेतु पंजीकरण तिथि को आधार माना जायगा। आपूर्ति की जाने वाली वाहन उचित गुणवत्ता (Excellent condition) वाली होनी चाहिए। वाहन की आन्तरिक साज–सज्जा यथा–सीट कवर, तौलिया, पढ़ने के लिये बिजली, फुटमैट आदि उत्कृष्ट क्वालिटी का होना आवश्यक है।
3. वाहन की जांच के उपरान्त ही वाहन का चयन किया जायेगा।
4. निविदा –प्रपत्र का शुल्क रू0 590.00 (जी.एस.टी. सहित) होगा, जिसे निविदा–प्रत्र के साा संलग्नबैंक विवरण के खाते में जमा किया जा सकता है अथवा बैंक ड्राफ्ट, जो **UTTARAKHAND CO OPERATIVE FEDRATION Ltd.,** नामहो अथवाकार्यालय दिवस में नकद जमा कर प्राप्त किया जा सकेगा।
5. वाहन स्वामी को रू0 5,000.00/–(रू0 पांच हजार) मात्र की धरोहर धनराशि बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ0डी0आर0/कार्यालय में नकद जमा रसीद की मूल प्रति के रूप में निविदा के साथ संलग्न करनी होगी, जो प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगलपड़ाव, हल्द्वानी के पास बंधक रहेगी।
6. निविदा के साथ रजिस्ट्रेशन, टैक्सी परमिट, बीमा, प्रदूषण आदि से सम्बन्धित प्रपत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करनी होगी तथा नया वाहन उपलब्ध कराने की दशा में अधिकतम 03 माह में उपरोक्त सभी अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध कराने होंगे।
7. वाहन स्वामी की निविदा स्वीकृत होने पर वाहन का अनुबन्ध 01 वर्ष हेतु किया जायेगा। जिसे कार्य की आवश्यकतानुसार अधिकतम 3 वर्ष हेतु विस्तारित किया जा सकता है।
8. वाहन का पंजीकरण उत्तराखण्ड में हो तथा टैक्सी परमिट उत्तराखड एवं उत्तरप्रदेश में मान्य होना चाहिए।
9. वाहन कच्ची, पक्की सड़कों पर उपयोग किया जायेगा तथा रात्रि विश्राम किया जा सकता है।
10. वाहन का औसत माइलेज 12 (बारह) कि0मी0 प्रति लीटर होना चाहिए।

11. वाहन के टायर, बैट्री, हैडलाईट बीमा, ब्रेक, इन्डीकेटर, वाईपर,शीशा दरवाजे एवं अन्य समस्त उक्ससरीज उचित एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता क होने चाहिए।
12. वाहन नियमानुसार संभागीय/उप संभगीय परिवहन कार्यालय में पेजीकृत होनी चाहिए तथा करार की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्र यथा–पंजीयन,परमिट शुल्क, फिटनेस शुल्क, मोटर वाहन कर, बीमा, चालक लाईसेन्स आदि पर व्यय सभी प्रकार के सम्बन्धित व्यय आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किये जायेगे।
13. वाहन का अनुरक्षण, परिवहन विभाग के मानकों के अनुसार होना चाहिए, सर्विसिंग एवं अन्य लुब्रिकैन्ट तथा मरम्मत आदि का वाहन, वाहन स्वामी स्वयं करेगा।
14. सर्विसिंग आदि हेतु वाहन के अनुपस्थित होने की दशा में उस दिन का किराया अनुमन्य नहीं होगा अथवा वाहन की मरम्मत, दुर्घटना, एक्सीडेन्ट आदि स्थिति में दूसरा वाहन, वाहन स्वामी द्वारा विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

15. वाहन पर तैनात किये जाने वाला चालक वैध व्यवसायिक लाईसेन्स धारक होना चाहिए। वाहन का चालक वाहन चलाने की दृष्टि से हृष्ट–पृष्ट (medically fit) एवं पर्याप्त अनुभवी और वाहन चलाने में दक्ष होना चाहिए। चालक का आचरण मृदुभाषी, अनुशासित होना अपरिहार्य है।
16. आपूर्तिकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे चालक, जो नशे के सेवन का आदि हो, को वाहन पर सेवायोजित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे चालक जो नशे का सेवन कर वाहन चलाने अथवा खतरनाक ढंग से वाहन चलाने अथवा किसी पुलिस वाद आदि में दोषी पाया गया हो, को भी वाहन में सेवायोजित नही किया जाएगा।
17. वाहन के किसी ऐसे चलक, जो अपने कर्तव्यों का पालन उचित ढंग से करने में असमर्थ है अथवा उसका आचरण एवं कार्य संतोषजनक नहीं है, को हटाने हेतु आपूर्तिकर्ता को निर्देशित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपूर्किर्ता को तत्काल दूसरे चालक/स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी।
18. यू0सी0डी0एफ0 मार्ग में होने वाली किसी प्रकार की क्षति अथवा अप्रत्याशित घटना/दुर्ध्टना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मार्ग में दुर्घटना की स्थिति में किसी प्रकार के चिकित्सा बीमा, मुआवजा एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा।

19. आपूर्तिकर्ता का यह दायित्व होगा कि चालक के पास र्प्याप्त धनराशि (imprest cash) उपलब्ध हो ताकि यात्रा के दौरान ईंधन मरम्मत अथवा वाहन सम्बन्धित अन्य व्यय किया जा सके।
20. मार्ग/यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी (breakdowan) होने पर आपूर्तिकर्ता को तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी। यदि किसी समय आपूर्तिकर्ता वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत होगा।
21. वाहन से सम्बन्धि सभी वैध व आवश्यक अभिलेख सदैव वाहन के साथ होना चाहिए।
22. वाहन के किराये का भुगतान माह समाप्त होने के परान्त किया जायेगा।
23. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
24. वाहन चालक सहित की दशा में सम्बन्धित वाहन को विभागीय/संस्था के वाहन चालक द्वारा संचालित किया जायेगा। चालक सहित वाहन की दशा में सम्बन्धित वाहन को वाहन स्वामी द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन चालक के द्वारा ही संचालित किया जायेगा, जिसके पास वैध ड्राईविंग लाईसेन्स हो। किन्तु, चालक सहित वाहन की दशा में चालक हेतु वाहन स्वामी को यू0सी0डी0एफ0लि0, हल्द्वानी कार्यालय से पृथक से मानदेय आदि से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
25. वाहन चालक के पास पर्वतीय/मैदानी क्षेत्र में वाहन संचालक हेतु वैद्य ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए। वाहन स्वामी द्वारा विभाग से प्राप्त ईंधन (डीजल) की खपत लॉगबुक में अंकित करने के पश्चात् देयक का भुगतान किया जायेगा, वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन चालक को वेतन एवं सभी सुविधाओं का भुगतान स्वयं वहन किया जायेगा।
26. आपूर्तिकर्ता अथवा उसके चालक द्वारा सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क रखा जायेगा तथा ड्यूटी के समयबद्ध संचाललन हेतु उनके द्वारा दिये गए निर्देशो का पालन किया जायगा।
27. वाहन का प्रयोग राज्य के भीतर एवं बाहर कहीं भी किया जा सकता है।
28. आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी दशा में कार्य को पुनः ठेके (sub-let)पर नहीं दिया जाएगा।
29. उपरोक्तानुसार ईंधन की आपूर्ति दैनिक/मासिक (जैसी भी स्थिति हो) लॉगबुक के आधार पर सम्बन्धित विभाग द्वारा की जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को वाहन में नियमित रूप से लॉग बुक रखना आवश्यक होगा और उस पर दैनिक आधार पर वाहन संचालन की प्रविष्टि करते हुए उसे सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित करना होगा।

30. वाहन में नियमानुसार स्टेपनी, टूल किट, फर्स्ट एड बॉक्स, आग बुझाने का यंत्र (fire extinguisher) एवं डस्ट बैग भी आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर रखना आवश्यक है।

31. भुगतान की रीतिः–

(एक) कार्य की पूर्ति पर सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को भुगतान मासिक के आधार पर किया जायेगा।

(दो) आयकर नियमों के अनुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा भुगतान के समय आयकर की कटौती (टीडीएस) की जायेगी।

32. सेवा प्रदान करने में विलम्ब हेतु शक्ति/दर अनुबन्ध का निरस्तीकरण निम्नलिखित अवसरों पर कार्य प्रभारित प्रतिभूति को जब्त करते हुए दर पंजीकरण को समाप्त कर दिया जायेगा–

(एक) यदि आपूर्तिकर्ता समय पर वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहता है।

(दो) आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की जा रही सेवायें संतोषजनक नहीं है।

33. कर एवं अन्य देयकों का भुगतानः–

(एक) सभी प्रकार के टॉल टैक्स, प्रवेश कर, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा।

(दो) अन्य राज्यों में वाहन के आवागमन की स्थिति में अन्य प्रदेशों के कर आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण का प्रमाण प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा की जायेगी।

34. आपूर्तिकर्ता द्वारा कार्य के सम्बन्ध में विभिन्न अधिनियमों/नियमों यथा–श्रम अधिनियम न्यूनम पारिश्रमिक अधिनियम पी.एफ., ई.एस.आई, मोटरयान अधिनियम आदि में विहित व्यवस्थाओं/नियमों/औपचारिकताओं का अनुपालन किया जायेगा। (जहाँ लागू हों)।

35. यू0सीडी0एफ0 में नया वाहन प्राप्त होने/बजट की उपलब्धता न होने अथवा सेवायें संतोषजनक नहीं होने की दशा में वाहन स्वामी को किसी भी समय लिखित सूचना देकर वाहन का अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

36. परिवहन विभाग से सम्बन्धित सभी टैक्स व न्यायपालिका से सम्बन्धित कोई भी विवाद वाहन स्वामी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

37. हाईवे पर टोल का भुगतान वाहन स्वामी द्वारा किया जायेगा, जिसे विभागीय अधिकारी की संस्तुति पर वाहन स्वामी को प्रतिपूर्ति किया जायेगा।

38. यू0सीडी0एफ0 में नया वाहन प्राप्त होने अथवा सेवायें सन्तोषजनक नहीं होने की दशा में वाहन स्वामी को एक माह की नोटिस पर वाहन का अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

39. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् नये वाहन क्रय की दशा में अनुबन्ध की तिथि से अधिकतम तीन माह में नया वाहन क्रय कर उपलब्ध कराना होगा तथा अनुबन्ध की तिथि एवं नया वाहन क्रय की अवधि तक निविदादाता को वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी।
40. वाहन स्वामी को निविदा में स्वीकृत मासिक/दैनिक किराये के अतिरिक्त स्वीकृत डीजल की खपत की कीमत ही अनुमन्य होगी।
41. वाहन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख निविदादाता के नाम से होनी चाहिए।
42. प्राप्त निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल) को होगा।
43. किसी विवाद की स्थिति में विवाद का निपटारा निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा किया जायेगा, जिनका निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा।

मैंने उपरोक्त 1 से 43 तक सभी शर्तें भली–भांति पढ़ ली है और मैं उपरोक्त सभी शर्तों को मानने के लिये सहमत हूँ।

हस्ताक्षर वाहन स्वामी

वाहन स्वामी का नाम ....
पूरा पता..
मोबाईल नम्बर ....
ई–मेल आई0डी0 ....